भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4257

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जन्म दर्ज करने हेतु दिशानिर्देश

4257. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में जन्म दर्ज करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) जन्म के समय मापन और रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित प्रमुख स्वास्थ्य मैट्रिक्स का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का जन्म मैट्रिक्स की सूचना देने के लिए मानकीकृत खाका जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार की मुख्य जन्म मैट्रिक्स के भंडारण हेतु केन्द्रीकृत निक्षेपागार स्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में आंकड़ों की गोपनीयता, अंतर-प्रचालनीयता और अनुसंधान प्रयोजनों हेतु पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानक दिशानिर्देशों के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में शिशु जन्म से संबंधित विभिन्न जनसांख्यिकीय और मानवशास्त्रीय मापदंडों के साथ-साथ माता के जनसांख्यिकीय विवरण को दर्ज करने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल को क्रियान्वित करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानक प्रारूप के आधार पर आरसीएच पोर्टल में डेटा एकत्र किया जाता है तथा आरसीएच पोर्टल के केंद्रीयकृत डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत आने वाले भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन अनुक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों जो डेटा एक्सेस के लिए विभिन्न डेटा गोपनीयता चिंताओं को दूर करते हैं, को लागू करता है। मंत्रालय विभिन्न अनुप्रयोगों के बीच अंतर-संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आवश्यकता आधारित एकीकरण को भी लागू करता है।

*****